हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2022 कील तथा बोल। बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पश्चात बहस दिनांक 16/12/2022 को पेश हो।	
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़	
16/12/2022 कील तथा बोल। पेशकार अवगत कराया बहस तर्कीना पत्र प्रस्तुत नहीं। संक्षिप्त मे निवेदन इस प्रकार है कि मौजा भोपाखेड़ा तह० कपासन की भू०क्र० 115 के सानिक पैमाइश मे भू०क्र० 3876/1 पे। परिवादी श्रेणी मे अमरलाल पिता बगीचा व रामलाल पिता भोली लाल के साल 4 बीघा 12 बिस्वे ले कर्ज श्रेणी है। बगीचा। तथा मे उक्त आराजी परिवादी भूमिहीन किस्म पट्टा दिनांक 21/8/2006 व दिनांक 28/4/2006 को हुए की। सानिक पैमाइश मे उक्त डोली 3876/1 संख्याद्वय को भू०क्र० 3876/2 के दक्षिणी पूर्वी तरफ स्थित थी कैसे भाग भी इसी स्थान पर है। हाल पैमाइश मे संख्याद्वय मे डोली स 115 को भू०क्र० 114 सानिक स० 3876/2 के दक्षिणी पश्चिमी तरफ चिह्नित कर दिया व भू०क्र० 114 के दक्षिण दिशा मे उक्त डोली के एक डेटेड लाइनडाल की जो गलत है। अतः उक्त को कुल तीसरे पक्षे का निवेदन किया। अतः परिवादी पेशकार मे पश्चात पक्षे पर निवेदन किया कि भू०क्र० 3876/1 की स्थिति सानिक नक्शे के सजर बनी होने व भू०क्र० के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए स्वतंत्र तीसरे पक्षे का निवेदन किया है। इसके बहस पर मनन किया। प्रार्थिया के निवेदन तथ्यों मे डेटेड लाइन हाल सेन्ट्रल स्टेशन तथ्यों के नहीं होने के हटाये जाने की	
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अवलम्बित नहीं है। साथ ही प्रार्थिनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कृति के परिपत्र में धारा 50 मौलिक संख्या 01 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी वर्ष 2006 के दौरान आरामी खरीदकर आयी है। जो कि सेलडीड के बाद बने पट्टे कागज के सबूत भी है साथ ही हाल ही में अपील ने रूपया प्राप्त किया है। अतः प्रार्थिनी पक्षपात में भी परिपत्र सरकार के विवेक किया कि नाबिक पट्टे की स्थिति सुस्पष्ट नहीं होने से खारिज किये पट्टे का निवेदन किया है। प्रार्थिनी ने हाल आर0 सी0 115 खरीदे है व उसी पर रूपया प्राप्त किये पट्टे के अतः 50 प्रतिशत मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली रिकार्ड कार्यालय होकर के अन्तर्गत आदेश छपाया जाए। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़